



सत्यमेव जयते



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष, 1946 (श०)

संख्या - 789 राँची, सोमवार, 23 दिसम्बर, 2024 (ई०)

#### गृह विभाग।

-----

#### अधिसूचना

20 अक्टूबर, 2014

**संख्या-07/ हो०गा० (स्था०)-27/2014-5442--**झारखंड, राँची दिनांक-20.10.2014 भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं झारखंड गृह रक्षक अधिनियम-2005 की धारा-12 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल झारखंड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली, 2014 बनाते हैं :-

#### **झारखंड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली, 2014**

1. संक्षिप्त शीर्षक- यह नियमावली झारखंड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली, 2014 कही जायेगी।
2. परिभाषाएँ- इस नियमावली के अंतर्गत:-
  - (क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है झारखंड गृह रक्षक अधिनियम (स्वयंसेवक), 2005;
  - (ख) 'महासमादेश' से अभिप्रेत है गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेश;
  - (ग) 'उप-महासमादेश' से अभिप्रेत है गृह रक्षा वाहिनी के उप-महासमादेश;
  - (घ) 'समादेश' से अभिप्रेत है गृह रक्षा वाहिनी के समादेश;

- (ड.) 'प्रमंडलीय समादेश' से अभिप्रेत है गृह रक्षा वाहिनी के प्रमंडलीय समादेश;
- (च) 'जिला समादेश' से अभिप्रेत है गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेश;
- (छ) 'उपायुक्त' से अभिप्रेत है झारखंड के किसी जिला के उपायुक्त;
- (ज) 'प्रपत्र' से अभिप्रेत है इस नियमावली के द्वितीय परिशिष्ट में विहित प्रपत्र;
- (झ) 'गृह रक्षक बल' से अभिप्रेत है नियमावली के नियम-3 में परिभाषित स्वयंसेवक एवं सभी पदस्थितियों के पूर्णकालिक वैतनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारियों से समाहित बल।
- (ञ) 'सरकार' से अभिप्रेत है झारखंड सरकार
- (ट) 'राज्य' से अभिप्रेत है झारखंड राज्य

### **3. संगठन**

(i) गृह रक्षक संगठन चरित्र में मूलतः स्वयंसेवी होगा और यह अवधारणा पूरे सांगठनिक ढाँचे की दृष्टि से रखी जायेगी। अतएव समादेश एवं नियंत्रण के निमित्त राजपत्रित और अराजपत्रित वैतनिक पदाधिकारियों (जैसा प्रथम अनुसूची में वर्णित है), के केन्द्रीय भाग को छोड़कर सभी कर्मी स्वयंसेवक होंगे और दो श्रेणियों यथा ग्रामीण एवं शहरी गृह रक्षक में वर्गीकृत होंगे जो प्रशिक्षणोपरांत अपनी सेवाएँ शांति के लिए आपात् स्थितियों के दौरान राष्ट्रहित में समर्पित करेंगे। इन गृह रक्षकों का बल भारत सरकार द्वारा निर्धारित अखिल भारतीय ढाँचे के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् निर्धारित किया जायेगा।

(क) ग्रामीण श्रेणी में झारखंड राज्य के सामुदायिक विकास प्रखंडों में प्रत्येक प्रखंड हेतु औसतन 110 व्यक्तियों की एक कम्पनी होगी। यह संख्या राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकेगी।

(ख) शहरी श्रेणी में प्रत्येक 1,00,000 की जनसंख्या पर 100 व्यक्तियों की एक कम्पनी स्थापित होगी जिसमें 50 प्रतिशत तकनीकी दक्षता के होंगे।

(ii) राज्य स्तर पर गृह रक्षक बल उप-महासमादेश, वरीय स्टॉफ ऑफिसर (समादेश, प्रमंडलीय समादेश) और कनीय स्टॉफ ऑफिसर (जिला समादेश) के सहयोग से महासमादेश द्वारा नियंत्रित होगा। इसके अतिरिक्त महासमादेश कार्यालय के संधारण एवं प्रबंधन के लिए निरीक्षक, कम्पनी कमांडर एवं लिपिकीय श्रेणी का एक समूह होगा। तथापि महासमादेश सभी नीति विषयक मामलों यथा स्थापना, अनुशासन, प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति, साज-सज्जा, कल्याण और झारखंड राज्य के गृह रक्षक बल से संबंधित सभी मामलों में नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

(iii) प्रमंडल स्तर पर एक प्रमंडलीय समादेश होगा जो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत झारखंड राज्य में गृह रक्षक बल से संबंधित सभी मामलों और कल्याण, साज-सज्जा, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण, अनुशासन स्थापना के मामलों में राज्य मुख्यालय एवं राज्य सरकार के आदेशों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(iv) जिला स्तर पर जिला समादेश होंगे जो अपने जिला अंतर्गत सरकार और राज्य मुख्यालय के गृह रक्षक से संबंधित सभी मामलों एवं कल्याण, साज-सज्जा, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण, स्थापना आदि से संबंधित मामलों में प्राप्त आदेशों के अनुपालन के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी एवं जिम्मेवार होंगे। वह अपने जिला अंतर्गत अपने अधीन सभी लेखाओं के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। जिला समादेश अपने अधीनस्थ बल के सदस्यों

के बीच अनुशासन लागू रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। निरीक्षक, कम्पनी कमांडर एवं अन्य अधीनस्थ स्थायी स्टाफ बल उनके प्रशासन में उन्हें मदद करेंगे।

(v) ग्रामीण एवं शहरी गृह रक्षकों के बुनियादी और आवृत्तिचर्या प्रशिक्षण के लिए एक या एक से अधिक जिला प्रशिक्षण केन्द्र, जिला समादेष्टा के अधीन होंगे और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, प्रमंडलीय समादेष्टा के अधीन प्रमंडलीय स्तर पर होंगे। राज्य स्तर पर एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होगा जो समादेष्टा के अधीन प्रथम स्तरीय संस्थान होगा। वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा की पदस्थिति के समादेष्टा यहाँ 'समादेष्टा-सह-प्राचार्य' से पदनामित किये जायेंगे और इस संस्थान में सभी बुनियादी, आवृत्तिचर्या और विशिष्ट, प्रशिक्षण ग्रामीण एवं शहरी गृह रक्षकों के लिए संचालित किया जायेगा। समादेष्टा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के सभी लेखा के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। ये प्रशिक्षण केन्द्र राज्य सरकार से स्वीकृत संख्या में अनुदेशकों एवं अन्य कर्मियों से युक्त रहेंगे।

#### **4. गृह रक्षकों का नामांकन :-**

(i) गृह रक्षकों का नामांकन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला चयन समिति द्वारा होगी जिसमें जिला के जिला समादेष्टा, पुलिस अधीक्षक एवं उपायुक्त होंगे। नामांकन की प्रक्रिया महासमादेष्टा, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के नियंत्रण में रहेगा। इस संबंध में समय-समय पर जरूरत पड़ने पर दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा। नामांकन प्रमाण-पत्र, नियमों के अंतर्गत गृह रक्षक के लिए निर्धारित प्रशिक्षण की सफल समाप्ति के पश्चात् जिस जिले में नामांकन किया जायेगा उस जिले के उपायुक्त के मुहर एवं हस्ताक्षर से निर्गत किये जायेंगे, जो विहित प्रपत्र में होंगे।

(ii) गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए इच्छुक उम्मीदवार द्वारा आवेदन फॉर्म संबंधित जिला के जिला समादेष्टा कार्यालय में जमा किया जायेगा। जिला समादेष्टा इसके पूर्व भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या एवं प्रकृति विज्ञापित एवं प्रकाशित करेंगे।

(iii) नामांकन बोर्ड:- बोर्ड नियम-4 (i) में उल्लिखित 'सामान्य गृह रक्षकों तथा तकनीकी गृह रक्षकों को नामांकित करेंगे। तकनीकी गृह रक्षकों के नामांकन के निमित्त उपायुक्त द्वारा मनोनीत संबंधित क्षेत्र की विशिष्ट जानकारी रखने वाले एक अतिरिक्त सदस्य भी होंगे।

(iv) प्रत्येक जिला में गृह रक्षकों के नामांकन में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए कर्णांकित होंगे।

(v) महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत के पदों में से 5% पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा / परित्यक्ता / विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा / परित्यक्ता / विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त 5% पद पुनः महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत में समाहित हो जायेगा।

नोट :-1) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए :- अभ्यर्थी को उस प्रखंड / गाँव का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। शैक्षणिक योग्यता 7 वीं पास होगी।

नोट:-2) शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन :- अभ्यर्थी उस जिला/शहर/क्षेत्र का सामान्यतः निवासी होना चाहिए अथवा वह किसी कार्यालय में कार्य कर रहा हो, स्वनियोजित हो, या तकनीकी ज्ञान रखता हो। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक (10वीं पास) होगी। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जायेगा चालक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, टंकक, बढई, मोची, रसोइया, पनभर, धोबी, नाई, टेलिफोन ऑपरेटर, नर्स (पुरुष/महिला) डॉक्टर, अभियंता, अधिवक्ता, प्रोफेसर, माली, बिजली मिस्त्री, अग्निक, प्लम्बर मिस्त्री आदि।

**नोट :- 3) उम्र 19 से 40 वर्ष / नामांकन वर्ष के 01 जनवरी को।**

**नोट :- 4) शारीरिक मापदंड**

- (i) लम्बाई पुरुष- 162 से.मी. (सामान्य/ओ.बी.सी./बी.सी.)  
157 से.मी. (अ.ज.जा./अ.जा.)  
महिला-148 से.मी. (सामान्य / ओ.बी.सी./बी.सी.)  
148 से.मी. (अ.ज.जा./अ.जा.)
- (ii) छाती 79 से.मी. (सामान्य / ओ.बी.सी./बी.सी.)  
76 से.मी. (अ.ज.जा./अ.जा.)

**नोट :- 5) शारीरिक जाँच (सामान्य के लिए).**

| जाँच      | पुरुष                                                                                                                                             | महिला                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दौड़      | 01 मील दौड़ (न्यूनतम)<br>05 मिनट या पूर्व (20 अंक)<br>05-06 मिनट (10 अंक)<br>06 मिनट से अधिक समय लेने वाले<br>अयोग्य माने जायेंगे।                | 01 मील दौड़ (न्यूनतम)<br>08 मिनट या पूर्व (20 अंक)<br>08-10 मिनट (10 अंक)<br>10 मिनट से अधिक समय लेने वाले<br>अयोग्य माने जायेंगे।               |
| ऊँची कूद  | (क) 04 फीट 5 अंक (न्यूनतम)<br>(ख) 04'-4'3"- 6 अंक<br>(ग) 4'3"-4'6"- 7 अंक<br>(घ) 4'6"-4'9"- 8 अंक<br>(च) 4'9"-5"- 9 अंक<br>(छ) 5' और अधिक -10 अंक | (क) 03 फीट 5 अंक (न्यूनतम)<br>(ख) 03'-3'3"- 6 अंक<br>(ग) 3'3"-3'6"- 7 अंक<br>(घ) 3'6"-3'9"- 8 अंक<br>(च) 3'9"-4"- 9 अंक<br>(छ) 4" और अधिक-10 अंक |
| लम्बी कूद | (क) 12 फीट -5 अंक (न्यूनतम)<br>(ख) 12'-13"- 6 अंक<br>(ग) 13'-14"- 7 अंक<br>(घ) 14'-15"- 8 अंक<br>(च) 15'-16"- 9 अंक<br>(छ) 16' और अधिक -10 अंक    | (क) 9 फीट -5 अंक (न्यूनतम)<br>(ख) 9'-10"- 6 अंक<br>(ग) 10"-11"- 7 अंक<br>(घ) 11"-12"- 8 अंक<br>(च) 12"-13"- 9 अंक<br>(छ) 13" और अधिक-10 अंक      |
| शॉट पूट   | 16 पौण्ड 16 फीट (न्यूनतम)                                                                                                                         | 10 पौण्ड - 10 फीट (न्यूनतम)                                                                                                                      |

**तकनीकी वालो के लिए :-**

| जाँच      | पुरुष                                                                                                                              | महिला                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दौड़      | 01 मील दौड़ (न्यूनतम)<br>06 मिनट या पूर्व (20 अंक)<br>06-08 मिनट (10 अंक)<br>08 मिनट से अधिक समय लेने वाले<br>अयोग्य माने जायेंगे। | 01 मील दौड़ (न्यूनतम)<br>08 मिनट या पूर्व (20 अंक)<br>08-12 मिनट (10 अंक)<br>12 मिनट से अधिक समय लेने वाले<br>अयोग्य माने जायेंगे। |
| ऊँची कूद  | (क) 3.5 फीट 5 अंक (न्यूनतम)<br>(ख) 4' और अधिक -10 अंक                                                                              | (क) 2.5 फीट-5 अंक (न्यूनतम)<br>(ख) 3' और अधिक 10 अंक                                                                               |
| लम्बी कूद | (क) 9 फीट- 5 अंक (न्यूनतम)<br>(ख) 10' और अधिक-10 अंक                                                                               | (क) 6 फीट- 5 अंक (न्यूनतम)<br>(ख) 7' और अधिक -10 अंक                                                                               |
| शॉट पूट   | 16 पौण्ड-12 फीट (न्यूनतम)                                                                                                          | 10 पौण्ड-08 फीट (न्यूनतम)                                                                                                          |

**नोट :- 6) लिखित जाँच (सभी प्रकार के गृह रक्षकों के लिए)**

- (क) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए- शारीरिक जाँच में योग्य पाये जाने पर अभ्यर्थी को हिन्दी पत्र की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा जिसमें 7वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जाँच की जायेगी। यह क्वालिफाईंग होगा। पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णता के लिए 30 मार्कस् आवश्यक होगा।
- (ख) शहरी गृह रक्षकों के लिए- शारीरिक जाँच में योग्य पाये जाने पर अभ्यर्थी को हिन्दी पत्र की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा जिसमें 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जाँच की जायेगी। यह क्वालिफाई होगा। पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णता के लिए 30 मार्कस् आवश्यक होगा।

नोट:- 7) मेडिकल जाँच राज्य पुलिस के जैसा।

नोट :- 8) उपर्युक्त जाँच परीक्षाओं में योग्य पाये जाने के बाद राज्य पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराया जायेगा।

नोट :- 9) आवासीय प्रमाण-पत्र।

**(क) शहरी के लिए**

अभ्यर्थी जो सामान्यतः जिला/नगर/क्षेत्र में रहते हैं, अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे।

**(ख) ग्रामीण के लिए :-**

अभ्यर्थी जो स्थायी रूप से गाँव/ प्रखंड में रहते हैं, अपने आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे।

- नोट:-10) अपील - लम्बाई / छाती संबंधी मामलों में किसी निर्णय से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी उसी दिन बोर्ड के अध्यक्ष को अपील करेंगे, अन्यथा उनका अपील आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- नोट:-11) वरीयता सूची- सभी जाँचों की पूर्णता के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न जाँचों में प्राप्त अंक के आधार पर एक मेधा सूची तैयार की जायेगी।
- नोट:-12) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले के प्राथमिकता दी जायेगी।
- नोट:-13) नोट 12 में उल्लेखित अभ्यर्थियों के बीच उम्र समान होने पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।
- नोट:-14) नोट 12 और 13 में उल्लेखित अभ्यर्थियों के बीच उम्र और शैक्षणिक योग्यता समान होने पर लम्बाई के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।
- नोट:-15) तकनीकी योग्यता (मात्र शहरी गृह रक्षकों के लिए)
- (i) चालक के लिए- अभ्यर्थी के पास ड्राइविंग लाइसेंस (एल.एम.भी./एच.एम.भी.) होना चाहिए जो आवेदन तिथि के पूर्व में निर्गत हो।
- (ii) बिजली मिस्त्री के लिए- अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
- (iii) कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए- अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर प्रशिक्षित होने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।  
डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और अन्य सुयोग्य अभ्यर्थी यथा सरकारी पदाधिकारी, बैंक अधिकारी आदि के पदस्थापन स्थान को सामान्य निवास माना जायेगा।
- (iv) नर्स के लिए (पुरुष/महिला) अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
- (v) बढ़ई/अग्निक / पलम्बर आदि- अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
- (vi) धोबी / हजाम / माली आदि- विशेषता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए व्यावहारिक जाँच आयोजित की जायेगी।

नोट:- 16) अभ्यर्थी जो राष्ट्र/राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुआ है, अपने साथ सक्षम प्राधिकार से निर्गत पुरस्कार प्रमाण-पत्र लायेगे। ऐसे अभ्यर्थियों को निम्नवत् अतिरिक्त अंक प्रदान किया जायेगा।

| स्थान,  | राष्ट्रीय | राज्य स्तरीय |
|---------|-----------|--------------|
| प्रथम   | 6 अंक     | 3 अंक        |
| द्वितीय | 4 अंक     | 2 अंक        |
| तृतीय   | 2 अंक     | 1 अंक        |

17) तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड द्वारा तकनीकी ज्ञान की परीक्षा ली जायेगी जो क्वालीफाईंग होगा पूर्णांक 100 तथा उत्तीर्णांक 30 होगा।

नोट:-18) नोट 15 में उल्लिखित जाँच 100 अंकों की होगी। 30 अंक और इससे अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी योग्य और 30 अंक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी असफल माने जायेंगे।

### **5. नामांकन की शर्तें :-**

- (क) (i) सरकारी सेवक का नामांकन विशेषकर शहरी गृह रक्षक में कुल रिक्तियों के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए क्योंकि आपात समय में अत्यधिक संख्या में सरकारी सेवकों का कॉल-अप सरकारी विभागों के अनिवार्य कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। पर्याप्त संख्या में सरकारी सेवक नहीं मिलने पर सामान्य अभ्यर्थियों से इन रिक्तियों को भरा जा सकता है।
- (ii) शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों की चयन प्रक्रिया- शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के अभ्यर्थी सरकारी सेवकों को उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत् अंक दिये जायेंगे।

| शैक्षणिक योग्यता | अंक    |
|------------------|--------|
| स्नातकोत्तर      | 10 अंक |
| स्नातक           | 8 अंक  |
| इंटरमिडिएट       | 6 अंक  |
| मैट्रिक          | 4 अंक  |

उनकी मेधा सूची उपर्युक्त आधार पर तैयार की जायेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी (सरकारी सेवक) समान अंक लाते हैं तो उन्हें उम्र के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी। प्राप्तांक और उम्र समान होने पर लम्बाई के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए सरकारी सेवक को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (iii) गृह रक्षक एक स्वयंसेवी संस्था है अतएव नामांकित व्यक्ति उच्च स्तरीय नैतिकता रखेंगे। किसी आपत्तिजनक गतिविधि या कार्यक्रम विशेषकर निम्नलिखित में से किसी से सम्बद्ध अथवा जुड़े होने पर कोई अभ्यर्थी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए अवांछनीय समझा जायेगा :-

(क) वे व्यक्ति जो किसी अवैध घोषित संगठन, निकाय, गतिविधि से जुड़े हैं या सदस्य रहे हैं और वे व्यक्ति जो शामिल रहे हैं ऐसे कार्यक्रम और गतिविधि में जो

- (1) संविधान की मर्यादा हनन पर केन्द्रित हो;
- (II) कानून से जुड़े हिंसा के बहिष्कार के प्रति संगठित रूप से नियम भंग कार्य पर केन्द्रित हो;
- (III) राज्य की सुरक्षा, भारत की अखंडता एवं सम्प्रभुता के हितों के प्रति दुर्भावना रखता हो; या
- (IV) विभिन्न जन समुदाय के बीच घृणा, बैर भाव को जाति, समुदाय, भाषा, नस्ल और धर्म के आधार पर बढ़ावा देता हो;

- (ख) 21 वर्ष की अवस्था के बाद किसी समय ऐसी गतिविधियों में सहभागिता और जाँच के 3 वर्ष के अंदर का समय साक्ष्य के रूप में माना जायेगा।
- (ग) नव नामांकित ग्रामीण एवं शहरी गृह रक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण क्रमशः 42 एवं 50 दिनों की होगी।

## **6. पुनर्नामांकन -**

- (i) पूर्व नामांकित वैसे गृह रक्षकों का जिनका बौण्ड 4 वर्ष के बाद समाप्त हो चुका है, के पुनर्नामांकन से 60% रिक्तियाँ भरी जायेगी।
- (ii) पूर्व गृह रक्षक जिसकी सेवा का संतोषजनक अभिलेख है, को द्वितीय अनुसूची के विहित प्रपत्र में संबंधित गृह रक्षक की घोषणा प्राप्त करने के बाद ही नई अवधि के लिए पुनः नामांकित किया जा सकता है, परंतु किसी भी स्थिति में 57 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के बाद नहीं।
- (iii) संतोषजनक सेवा के आकलन के लिए उन गृह रक्षकों की सेवा ही संतोषजनक मानी जायेगी जिन्होंने पुनः नामांकन के लिए आवेदन देने के दो कैलेण्डर वर्ष पूर्व तक में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक अवसर पर किसी भी प्रकार की ड्यूटी अवश्य किया हो। किसी आरोप में सेवा मुक्त गृह रक्षकों के पुनः नामांकन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (iv) जिला समिति से अनुशंसित अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त और चरित्र के सत्यापन के बाद, गृह रक्षक किसी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र या केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में आवृत्तिचर्या प्रशिक्षण (28 दिवसीय) के लिए महासमादेश के आदेशानुसार भेजा जायेगा।
- (v) पुनर्नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में महासमादेश, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा ताकि पूरा राज्य में एक समान नामांकन / पुनर्नामांकन हो सके।

## **7. मानद पदाधिकारियों का नामांकन**

- (i) गृह रक्षकों में से प्लाटून कमांडर, सेक्शन लीडर और सहायक सेक्शन लीडर जैसे मानद लीडर क्षेत्रीय कम्पनी कमांडर और संबंधित जिला के जिला समादेश से गठित समिति की अनुशंसा पर प्रमंडलीय समादेश द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। इसके लिए जिला समादेश अपनी अनुशंसा के पूर्व योग, ड्रिल, परेड, राईफल ड्रिल आदि संचालित कर प्रत्येक के लिए अलग-अलग अंक देंगे और प्रत्येक विषय में 30% अंक न्यूनतम अर्हतांक होगा और योग्यता के अनुसार कुल लब्धांक के आधार पर जिला समिति अनुशंसा करेगी।
- (ii) केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान और सभी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में गृह रक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कम्पनी हवलदार मेजर, कम्पनी क्वार्टर मास्टर जैसे मानद लीडरों का नामांकन क्षेत्रीय कम्पनी कमांडर और संबंधित जिला के जिला समादेश द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर किया जायेगा।

## **8. अनुशासन :-**

- (1) स्वयंसेवकों के सभी पदधारी अनुशासन एवम् उच्च नैतिक स्तर को बनाये रखेंगे और नियमों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे।

- (ii) सभी स्वयंसेवक नियंत्रण एवं क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपनी कर्तव्यावधि और प्रशिक्षण के दौरान बल के सदस्यों के बीच अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे और अवकाश, पुरस्कार, सजा और अनुशासन से संबंधित सभी मामलों में अधिकतम सतर्कता और न्यायबोध के साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ऐसे सभी मामले महासमादेश द्वारा निर्गत समुचित आदेशों के तहत संचालित किये जायेंगे।
- (iii) गृह रक्षक स्वयंसेवक हैं और इसलिए किसी संगठन या समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है।

## 9. सेवा मुक्ति :-

- (i) एक गृह रक्षक होमगार्ड अधिनियम, 2005 की धारा 8 में यथाविहित 4 वर्षों की सेवा अवधि पूर्ण होने पर सेवा मुक्त समझा जायेगा तथापि एक गृह रक्षक निम्नलिखित में से किसी कारण/आधार पर इसके पूर्व सेवा मुक्त किया जायेगा, यथा-
- (क) शारीरिक अयोग्यता,
  - (ख) 58 वर्षों की अवस्था,
  - (ग) इसके अपने अनुरोध पर, या
  - (घ) कोई अन्य विशेष कारण जैसा कि सेवा मुक्त करने वाले पदाधिकारी द्वारा लिखित में उल्लेखित किया गया हो।
- (ii) प्रत्येक स्वयंसेवक को जो होमगार्ड बल से नियम- 9 (i) a, b या c के तहत सेवा मुक्त किए गए हो, के संबंध में नामांकन प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र- 'B' में एक प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा। सेवा मुक्त गृह रक्षक को 10 दिनों के भीतर अपना नामांकन प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय में प्रत्यर्पित करना होगा अन्यथा उसे जमा किया हुआ मानते हुए जप्त कर लिया जायेगा। जो अधिनियम की धारा 9 (इ) के अधीन दण्डनीय होगा। किन्तु ऐसे प्रमाण पत्र को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी जब यह प्रमाण पत्र उनके 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद जारी की गई हो।
- (iii) बिना पूर्वानुमति के या अपनी अशक्तता, यदि कोई हो अधिकारी को बिना सूचित किये या किसी विवेक सम्मत आधार के बिना कर्तव्य पर उपस्थित होने में असफल को अधिनियम के धारा 8 के उपखण्ड (i) की धारा के अर्थों के तहत कर्तव्य से अनुपस्थित (Desertion of duty) माना जायेगा।

## 10. नियुक्ति प्रमाण-पत्र का समर्पण

गृह रक्षक बल की सदस्यता समाप्त होने की स्थिति में प्रदत्त नामांकन प्रमाण-पत्र अधिनियम के खण्ड 8 के उपखंड 3 के तहत जिला समादेश को समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। परंतु यदि गृह रक्षक 58 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर चुका हो या बौण्ड की अवधि समाप्त हो गयी हो तो यह प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

## 11 गृह रक्षक सूची और उसकी सेवापुस्ति

जिला समादेश सभा गृह रक्षकों के लिए उसके सही एवं पूर्ण पहचान के संबंध में स्थायी और अस्थायी पता, नामांकन / पुनर्नामांकन का वर्ष/तिथि, प्रशिक्षण एवं प्रतिनियुक्ति और गृह रक्षक के रूप में अन्य क्रियाकलाप विहित प्रपत्र में संधारित करने के उत्तरदायी होंगे। जिला समादेश गृह रक्षकों के प्रखंडवार नामांकन पंजी, तकनीकी कॉर्पस पंजी, आवृत्तिचर्या प्रशिक्षण पंजी, कॉल-अप पंजी, अग्रिम सह लीडरशीप पंजी और सेवा मुक्त पंजी आदि संधारित करने के उत्तरदायी होंगे। गृह रक्षकों के चरित्र सत्यापन हेतु उनकी चरित्र विहित प्रपत्र में जिला समादेश कार्यालय में संधारित किया जायेगा।

## 12. वर्दी और साज समान :-

- (i) प्रशिक्षणरत हो या कर्तव्य पर हो, प्रशिक्षण या कर्तव्य पर जाने या उससे लौटने की स्थिति हो स्वयंसेवक राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के द्वारा विहित किये गये वर्दी / साज-सज्जा आदि धारण करेंगे।
- (ii) गृह रक्षक स्वयंसेवकों को चार वर्ष की अवधि में दो बार प्रथम नामांकन / पुनर्नामांकन वर्ष में रु 2000/- (दो हजार रुपये) एवं नामांकन / पुनर्नामांकन के तीसरे वर्ष में रु 1000/- (एक हजार रुपये) नगद राशि वर्दी भत्ता के रूप में दी जायेगी जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा आकलन कर उसमें यथोचित परिवर्तन किया जायेगा। इस राशि से गृह रक्षक अपनी वर्दी आदि क्रय करेंगे जो निम्नलिखित होंगे:-

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| (क) शर्ट खाकी टेरीकॉट तथा उलेन | (ख) पैन्ट खाकी टेरीकॉट |
| (ग) वेब वेल्ट या कनवास         | (घ) मौजा               |
| (च) बूट एंकल-ब्लैक / जंगल बूट  | (छ) बेरेट टोपी नीला    |
| (ज) कंधा टाइल                  | (झ) टोपी बैज           |
| (ट) भिसिल फीते के साथ          |                        |

प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति के दौरान, कम्बल, ग्राउंडशीट, मच्छरदानी, राइफल सफाई के सामान जैसी सामग्रियाँ गृह रक्षकों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पैमाने एवं अनुमोदन के अनुसार दिया जा सकता है बशर्ते कि ये सामग्रियाँ गृह रक्षक की ड्यूटी समाप्त होने के बाद संबंधित इकाई के स्टोर में तुरंत जमा करा ली जाय। और गृह रक्षक के रूप में मियाद पूरी होने पर उस गृह रक्षक को निर्गत वर्दी एवं साज-सज्जा संबंधित जिला / प्रशिक्षण केन्द्र के स्टोर में जमा कराना होगा, अन्यथा दोषी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जायेगी।

वर्दी या साज-सज्जा की आपूर्ति के संबंध में गृह रक्षक बाजूबंद (Armlet) किसी कठिनाई की स्थिति में लगातार पहनना होगा।

(iii) कोई अनधिकृत सैन्य सामग्री या प्रतीक चिन्ह वर्दी के साथ नहीं पहनना होगा।

(iv) गृह रक्षक बल के पदाधिकारी और कर्मचारी एक जिला से दूसरे जगह स्थानांतरण होने पर अपने साथ अपना किट (Kit) ले जा सकेंगे।

**13. प्रशिक्षण :-**

(i) प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी स्वयंसेवक होमगार्ड संगठन के जिला/क्षेत्रीय या केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में अधिकतम 120 दिनों का अधोलिखित विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

- (1) शारीरिक प्रशिक्षण (Physical Training)
- (2) शस्त्र रहित ड्रिल (Drill without arms)
- (3) सशस्त्र ड्रिल (Drill with arms)
- (4) लाठी (बेंत) ड्रिल (Lathi Baton Drill)
- (5) दंगा ड्रिल एवं भीड़ नियंत्रण
- (6) ग्राम प्रतिरोध दल की गठन
- (7) क्षेत्र शिल्प
- (8) गार्ड ऊचूटी
- (9) रक्षक (नगद, कैदी और भी.आई.पी.)
- (10) भी.आई.पी. ऊचूटी
- (11) गश्ती
- (12) ट्रैफिक नियंत्रण
- (13) संदेश लेखन
- (14) हथियार एवं युक्ति प्रशिक्षण (Weapon & tactics training)
- (15) अत्यंत निकट युद्ध (Close Quarter battle)
- (16) रेडियो टेलीफोनी (बेतार)
- (17) निःशस्त्र मुठभेड़, (जुड़ो, कराटे, कुंगफु आदि) प्रशिक्षण
- (18) मानचित्र पाठन
- (19) कर्तव्य एवं दायित्व
- (20) मार्ग मार्च
- (21) अग्निशमन
- (22) राहत
- (23) बाढ़ राहत (बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के लिए)
- (24) नागरिक सुरक्षा के सिद्धांत
- (25) प्राथमिक उपचार
- (26) आपदा प्रबंधन
- (27) लिंग संवेदनशीलता और स्त्री सशक्तिकरण
- (28) आसूचना का संग्रहण
- (29) एच.आई.भी. जागरूकता

- (30) पुलिस कार्रवाई (परिवृत्तीकरण, अग्निशमन और शिकार अभियान)
- (31) विद्रोह रोधी कार्रवाई
- (32) घर खोज (House search)
- (33) दूरगामी गश्त
- (34) स्वास्थ्य-स्वच्छता, हेपेटाइटिस बी एवं एच.आई.वी. जागरूकता
- (35) होमगार्ड अधिनियम एवं नियमादि
- (36) अपराध नियंत्रण / कानून व्यवस्था से संबंधित पुलिस हस्तक, सी.आर.पी.सी., आई.पी.सी. के महत्वपूर्ण धाराएँ।
- (37) उत्सवी परेड एवं समापन
- (38) कम्प्यूटर परिचालन
- (39) पंचायती राज
- (40) योग।

नोट :- प्रत्येक शहरी गृह रक्षक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान या क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में 10 दिवसीय कैम्प-प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जहाँ वे आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा, प्राथमिक उपचार एवं अन्य आपात सेवाओं के लिए प्रशिक्षित किये जायेंगे। यह प्रशिक्षण प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में मदद करने और गृह रक्षकों में टीम भावना का विकास करने लिए आवश्यक है।

- (ii) तथापि महासमादेशा उपर वर्णित प्रशिक्षण के एक या एक से अधिक विषयों को आंशिक या पूर्ण रूप से हटा सकेंगे और आवश्यकतानुसार नये विषय शामिल कर सकेंगे। वह प्रशिक्षण के प्राथमिकताओं के स्थान को बदल सकेंगे और उद्देश्य के लिए आवश्यक तरीके एवं उस हद तक प्रशिक्षण कार्यक्रम परिवर्तित कर सकेंगे।
- (iii) गृह रक्षकों को दो वर्ष में एक बार अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाने के निमित्त अपनी क्षमता बनाये रखने और अद्यतन रखने के लिए 28 दिवसीय आवृत्तिचर्या प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- (iv) महासमादेशा पूर्ववर्ती गृह रक्षक को आवृत्तिचर्या प्रशिक्षण से पूरी छूट दे सकता है यदि वह (गृह रक्षक) बल में दूसरी बार सेवा के लिए नामांकित किया जाता है।
- (v) गृह रक्षकों के कुल बल से 40% ऐसे चयनित गृह रक्षकों जिन्होंने अपना बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। जटिल दायित्वों को उत्साह एवं लगन से पूरा करने में रूचि दिखायी है, को संगठन के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र या केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में से किसी एक में 30 दिवसीय अग्रिम प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण के दौरान डील, शस्त्र प्रशिक्षण (स्वचालित हथियार सहित) भीड़ नियंत्रण, दंगा/विद्रोह निरोधी कर्तव्य, महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा, बैंक में नगद राशि की पहरेदारी जैसे विषय और कानून व्यवस्था बनाये रखने, अपराध नियंत्रण एवं नागरिक सुरक्षा जैसे उच्च विषयों में अग्रिम प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण गृह रक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के

आगामी 2 वर्षों के भीतर दिया जायेगा। अग्रिमचर्या प्रशिक्षण प्राप्त गृह रक्षकों को इन लगातार वर्षों में आवृत्तिचर्या प्रशिक्षण के लिए फिर नहीं बुलाया जायेगा।

- (vi) बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद द्वितीय वर्ष से सेक्शन/प्लाटून लीडर के लिए चयनित गृह रक्षक को संगठन के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान / क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में से किसी एक में 21 दिवसीय लीडरशीप प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम ऐसे रचित होगा या ऐसे विषय शामिल होंगे कि स्वयंसेवक नियंत्रण एवं समादेश की जिम्मेवारी लेने के लिए स्वयं प्रस्तुत रहें।
- (vii) कम्प्यूटर परिचालन, प्राथमिक उपचार, अग्निरोध, बीज सुरक्षा एवं संवर्द्धन, वृक्षारोपण एवं पंचायती राज आदि विषयों में कम से कम 30 दिवसीय विशेषज्ञता पाठ्यक्रम का आयोजन केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान या क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में दूसरे संबंधित विभागों की सहायता से अथवा किसी विशेषज्ञ के परामर्श से कराया जा सकता है।
- (viii) महासमादेश गृह रक्षक की प्रशिक्षण विषय सूची से किसी एक में विशेषज्ञता प्रशिक्षण के लिए राज्य से बाहर स्थित किसी राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान में गृह रक्षक को भेज सकता है।

#### **14 कर्तव्य अवधि :-**

- (i) किसी गृह रक्षक को किसी प्रकार की आपात स्थिति में प्रशासन की सहायता के लिए बुलाया जा सकेगा और जैसे ही आपात स्थिति समाप्त होती है, उसे कर्तव्य से विमुक्त कर दिया जायेगा और उसे दीर्घतर समय के लिए कर्तव्य पर नहीं रखा जायेगा ताकि गृह रक्षक बल के स्वयंसेवी चरित्र को बनाये रखा जा सके।
- (ii) बुलाये जाने पर गृह रक्षक की सुविधा का ख्याल रखा जाना होगा। गृह रक्षकों को अपने वरीय पदाधिकारियों द्वारा सौंपी गई ड्यूटी निश्चित रूप से स्वीकार करनी होगी।
- (iii) आरक्षित गृह रक्षक समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम और आवृत्तिचर्या प्रशिक्षण में शामिल होंगे।
- (iv) सामान्यतः गृह रक्षक अपने जिले के अंदर ही ड्यूटी के लिए बुलाया जायेगा परंतु आपात स्थिति में राज्य में कहीं भी किसी समय उसे सेवा देने के लिए भेजा जा सकेगा। गृह रक्षकों को आवश्यकतानुसार राज्य से बाहर भी भेजा जा सकता है।
- (v) उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला समादेश को किसी संख्या में (राज्य सरकार से आवंटित अधिसीमा के अनुसार) गृह रक्षकों को बुलाने का निदेश दे सकता है जब भी वह समझता है कि आपात स्थिति पैदा हो गयी है और ऐसे कॉल-अप अनिवार्यतः लिखित रूप में दिया जायेगा। गृह रक्षकों का कॉल-अप करने वाले पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वास्तविक कॉल-अप किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि पर्याप्त निधि या आवंटन यथोचित श्रोत से उपलब्ध है।
- (vi) प्रशिक्षण के दौरान या विशेष परिस्थितियाँ जहाँ नगद भुगतान आवश्यक है को छोड़कर शेष अवसरों पर गृह रक्षकों को बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

**15 कर्तव्य**

- (i) राज्य की शांति सुव्यवस्था बनाये रखने में सहायता करना प्रत्येक गृह रक्षक की ड्यूटी होगी। अनुशासन एवं आत्मविश्वास की आदत सिखाना राज्य के नागरिकों के बीच नागरीय दायित्व की भावना का विकास करना और आकस्मिक सेवाएँ यथा बिजली और जल आपूर्ति के परिचालन प्रतिष्ठान को किसी आकस्मिकता में बनाये रखने में मदद करना आदि के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित और विशेषकर संवर्द्धित किया जायेगा।
- (ii) गृह रक्षक साम्प्रदायिक सदभाव के समुन्नयन एवं समाज के निर्बल तत्वों की सुरक्षा में प्रशासन को सहायता देंगे और सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी गतिविधियों यथा प्रौढ़ शिक्षा, लिंग संवेदनशीलता और महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं एच.आई. वी. जागरूकता में सहभागिता रखेंगे और साथ ही राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढीकरण में मदद करेंगे।
- (iii) गृह रक्षक नागरिक सुरक्षा सेवाओं यथा अग्निशमन, राहत बचाव, नर्सिंग प्राथमिक उपचार आदि कार्यों में जब/जहाँ आवश्यक हो, सहायता देंगे।
- (iv) गृह रक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों में सब या कोई एक निर्वहन करेंगे
  - (क) अपराध रोकथाम।
  - (ख) सम्पति एवं जीवन की सुरक्षा।
  - (ग) आसूचना संग्रहण एवं सम्प्रेषण।
  - (घ) अनियमितता गड़बड़ियों का दमन।
  - (च) शांति भंग करने जैसी अफवाहों को तत्काल रोकना और रिपोर्ट करना।
  - (छ) ग्राम प्रतिरोधी दल के गठन में मदद करना।
- (v) गृह रक्षकों को आपदा प्रबंधन में प्रशासन को मदद करने की विशेष जिम्मेवारी होगी। इसके लिए गृह रक्षक समुचित रूप से प्रशिक्षित किये जायेंगे।
- (vi) गृह रक्षक बल के प्रत्येक पदाधिकारी, कर्मचारी और स्वयंसेवक महासमादेश, उप-महासमादेश, समादेश, प्रमंडलीय समादेश, उपायुक्त अथवा सरकार के किसी सामान्य / विशेष आदेशानुसार उपायुक्त या प्रमंडलीय समादेश/समादेश या उप-महासमादेश या महासमादेश द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा निर्गत सभी आदेशों का अनुपालन करेंगे।
- (vii) गृह रक्षक बल का प्रत्येक सदस्य अपने वरीय पदाधिकारियों के आदेशों का तुरंत एवं यथेष्ट श्रम (diligence) से पालन करेंगे।
- (viii) इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके नियमादि के तहत कर्तव्य निर्वहन के लिए उपायुक्त, महासमादेश, उप-महासमादेश, समादेश, प्रमंडलीय समादेश, जिला समादेश के किसी विशेषीकृत स्थान, तिथि और समय पर उपस्थित होने के आदेश के असफलता अधिनियम की धारा-9 के उपखंड 01 के परिच्छेद (क) के तहत एक अपराध माना जायेगा।

**16. भत्ते :-**

- (1) (क) जिस अवधि के दौरान शहरी एवं ग्रामीण / गृह रक्षक ड्यूटी के लिए बुलाये जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत दैनिक भत्ते भुगतान किया जायेगा। प्रशिक्षण पर व्यतीत अवधि कर्तव्य पर (On Duty) मानी जायेगी।
- (ख) जब कभी एक शहरी या ग्रामीण गृह रक्षक ड्यूटी या प्रशिक्षण के लिए बुलाये जाते हैं, उन्हें घर से जिला मुख्यालय आने एवं वापस लौटने में इनके द्वारा व्ययगत राशि के बदले उसे एक मुश्त रु0 100/- की राशि यात्रा भत्ता के रूप में भुगतान की जायेगी। यात्रा भत्ता की राशि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित की जायेगी।
- (ग) चुनाव कर्तव्य या राज्य से बाहर कर्तव्य या अखिल भारतीय खेलकूद मीट में प्रतिभागी के लिए बुलाये जाने पर उस गृह रक्षक को अनुमान्य दैनिक भत्ता राज्य से बाहर दुगुनी राशि दी जायेगी। राज्य के अंतर्गत उद्योद्धा देय होगा।
- (घ) जब कभी गृह रक्षक को, कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति की जाती है और कर्तव्य की प्रकृति ऐसी हो कि उसे खाना पकाने का समय नहीं मिल पाता हो उसे सुखा-राशन उसी दर पर दिया जायेगा जो राज्य पुलिस कर्मियों को ऐसे अवसरों पर अनुमान्य है।
- (ङ) प्रशिक्षण अवधि के समय प्रत्येक गृह रक्षक निःशुल्क आवासन प्राप्त करेगा। प्रशिक्षु गृह रक्षकों की मेस व्यवस्था प्रशिक्षुओं के द्वारा संचालित की जायेगी।
- (च) गृह रक्षक किसी आवास किराया भत्ता या किसी नगरभत्ता के हकदार नहीं होंगे परंतु बैरकों में रहने की सुविधा दी जायेगी।
- (ii) सभी गृह रक्षक किसी सरकारी कार्य से एक जगह/शहर/जिला से दूसरी जगह / शहर अथवा जिला जाने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भत्ता देय होगा, परंतु आवागमन के लिए वाहन मुहैया होने पर कोई यात्रा व्यय अनुमान्य नहीं होगा।
- (iii) सभी गृह रक्षक जो भुगतान के आंधार पर विभिन्न संगठनों में प्रतिनियुक्त हैं नियम 16 (ii) के मुताबिक यात्रा व्यय के हकदार होंगे यदि उनके कर्तव्य की प्रकृति में एक स्थान / शहर अथवा जिला से दूसरी स्थान / शहर अथवा जिला में गति (Movement) शामिल हो। ऐसे व्यय प्रतिनियुक्ति के संगठन द्वारा वहन किये जायेंगे।

**17. अपराध :-**

कर्तव्य या प्रशिक्षण के समय किसी गृह रक्षक द्वारा निम्न में से कोई कार्य किया जाता है तो वह बल के विरुद्ध अपराध करना माना जायेगा:-

- (i) परेड पर, कर्तव्यरत या गृह रक्षक वर्दी/बांजबन्द धारण करने पर, वह-
- (क) अपने वरीय पदाधिकारी के प्रति धमकी भरी भाषा प्रयोग करता है या उसके विरुद्ध बल प्रयोग की धमकी देता है या बल प्रयोग करता है; या

- (ख) किसी स्थायी आदेश या वरीय पदाधिकारी द्वारा दिये गये किसी वैधिक आदेश की अवज्ञा करता है या
- (ग) महासमादेष्टा, उप-महासमादेष्टा, समादेष्टा, प्रमंडलीय समादेष्टा, जिला समादेष्टा या अपनी संबंधित इकाई के समादेशक द्वारा दिये गये किसी सामान्य आदेश की उपेक्षा करता है; या
- (घ) नशा की हालत में पाया जाता है; या
- (ङ.) अपने पद और स्थिति में अधीनस्थ के साथ मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है या अश्लीलतापूर्ण अपशब्द कहता है, नियमों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दण्ड का पात्र होगा
- (ii) बिना पर्याप्त कारण के निर्धारित समय में परेड के स्थान पर या गृह रक्षक के रूप में अपनी पदस्थिति में किसी स्थान पर उपस्थित होने में असफल होता है। जब कर्तव्य पर उसकी आवश्यकता है या परेड में अपनी पदस्थिति छोड़ देता है
- (iii) बिना पर्याप्त कारण के प्रशिक्षण का कोई भाग जिसे अधिनियम के तहत या द्वारा उसे करने की आवश्यकता है, नहीं करता है।
- (iv) मारपीट करता है, किसी व्यक्ति जिसके अधीन छोड़ देता है कुछ समय के लिए अधिनियम के अंतर्गत वह रखा जाता है, के विरुद्ध हिंसा करता है या प्रयोग करता है
- (v) इकाई या राज्य सरकार से संबंधित किसी सम्पत्ति के प्रभार के समय उसे अवैध रूप से निपटा देता है, हटा देता है।
- (vi) जान-बुझकर आहत करता है या दोषपूर्ण उपेक्षा से अपनी इकाई या राज्य सरकार से संबंधित किसी सम्पत्ति की हानि पहुँचाता है या नष्ट करता है
- (vii) वस्त्र परिधान, अस्त्र-शस्त्र के स्टोर रूपये या उसके / प्रभार / नियंत्रण में अन्य सम्पत्ति का संख्या या अपने नियंत्रणाधीन व्यक्तियों की स्थिति के संबंध में जान-बूझकर मिथ्या एवं कपटपूर्ण सूचनाएँ देता है
- (viii) किसी कपटपूर्ण आचरण और निंदनीय उपेक्षा से परिच्छेद में वर्णित कोई भी मामला, जो उसका दायित्व है प्रस्तुत नहीं करता है।
- (ix) अपनी सरकारी ड्यूटी के निष्पादन में ऐसी घोषणा करता है जो न तो वह जानता है अथवा गलत होने पर विश्वास करता है अथवा सत्य होने पर विश्वास करता है।
- (x) किसी व्यक्ति को अधिनियम के अंतर्गत जान-बूझकर आरोप का पात्र बनाता है जिसे न तो वह जानता है अथवा गलत होने पर विश्वास करता है अथवा सत्य होने पर विश्वास करता है।
- (xi) अपने निर्गत गृह रक्षक बल के वर्दी या हथियार पर वह ध्यान रखने में असफल होता है।
- (xii) कर्तव्य के दौरान जनता के प्रति पर्याप्त शिष्टाचार प्रदर्शित करने में असफल होता है।
- (xiii) सात दिनों से अधिक अवधि तक अपने आवास परिवर्तन की कोई लिखित सूचना उच्च स्तर तक देने में असफल होता है।
- (xiv) किसी कृत कार्य या चूक जो राज्य पुलिस हस्तक के प्रावधानों के आचार नियमावली के तहत एक अपराध माना जाता है।

**18. दण्ड :-**

- (i) निम्न दण्डों में से एक या अधिक गृह रक्षा वाहिनी के स्वयंसेवकों पर कर्तव्य की अवहेलना या बल के विरुद्ध अपराध के लिए अधिरोपित किया जा सकता है -
- (क) फटकार (ख) संतरी ड्यूटी या अतिरिक्त गार्ड (ग) निन्दा (घ) भत्ते से वंचित करना (ड.) अधिकतम छः महीने तक कर्तव्य से वंचित करना (च) कर्तव्य विमुक्ति

नोट:- (क) परिच्छेद (ख) के तहत दण्ड प्लाटून कमांडर लीडर पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।

नोट:- (ख) प्रमंडलीय समादेश/समादेश मुख्यालय / समादेश, के.प्र.सं. /क्षे.प्र.के. नियम-18

- (i) के तहत कोई दण्ड दे सकता है।

**(ii) दण्ड प्रक्रिया :-**

- (क) जिला समादेश द्वारा बचाव का अवसर देकर और अर्दली कक्ष में प्रक्रिया के उपरांत (OR) नियम 18 (i) (क) (ख) और (ग) के अंतर्गत कोई दण्ड दिया जा सकता है। इसके तहत पारित आदेश अपील योग्य नहीं होंगे क्योंकि ये लघुदण्ड माने जाते हैं।
- (ख) दोषी गृह रक्षक से लिखित स्पष्टीकरण पूछने और उसके उत्तर पर विचार करने के बाद ही नियम 18 ( i ) (घ) (ड.) और (ग) के तहत दण्ड दिये जायेंगे।

**19. दण्ड के विरुद्ध अपील :-**

- (i) प्रमंडलीय समादेश/समादेश के.प्र.सं./ क्षे.प्र.के. / समादेश, मुख्यालय द्वारा पारित दण्डादेश के विरुद्ध अपील अभ्यावेदन प्रमंडलीय समादेश/समादेश के०प्र०सं०/क्षे०प्र०के०/समादेश मुख्यालय के माध्यम से जिससे संबंधित मामला है अपने मंतव्य के साथ अग्रसारित कर दोषी गृह रक्षक का दण्डादेश के 30 दिनों के अंदर उप-महासमादेश के सामने रखा जायेगा।
- (ii) अपील में पारित आदेश के निरूपण परिचालन के 45 दिनों के भीतर उप-महासमादेश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दया याचिका महासमादेश के समक्ष मात्र कर्तव्य नियुक्ति के सजा के मामले में दाखिल किया जा सकता है।

नोट:- (i) महासमादेश के आदेश अंतिम होगा।

- (ii) यदि अपीलीय प्राधिकार संतुष्ट है कि विलम्ब के लिए पर्याप्त एवं विवेक सम्मत कारण विद्यमान है तो समय सीमा के समाप्ति के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है।

**पुरस्कार :-**

- (i) सुसेवांक और संस्तुतियों की प्रविष्टि सेवापुस्त में होगी। पुरस्कार स्वयंसेवकों एवं मानद कम्पनी कमांडरों के पद तक दिया जा सकता है।
- (ii) कोई गृह रक्षक जन समुदाय के किसी सदस्य से कोई धन या अन्य पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, महासमादेश या उप-महासमादेश या उपायुक्त किसी शाखा या प्लाटून की तरफ से धन का भेंट या पुरस्कार जनप्रशंसा के प्रतीक के रूप में बल के उत्साहवर्द्धन के निमित्त स्वीकार कर सकता है।

(iii) (क) प्रमंडलीय समादेष्टा / समादेष्टा, के०प्र०सं०/क्षे०प्र०के०/समादेष्टा, मुख्यालय गृह रक्षक को रूपये 500/- तक पुरस्कार दे सकता है।

(ख) उप-महासमादेष्टा, गृह रक्षक को रु० 1,000/- तक पुरस्कार दे सकता है।

(ग) महासमादेष्टा, गृह रक्षक को 10,000/- तक पुरस्कार दे सकता है।

## 21. नियंत्रण :-

महासमादेष्टा प्रमंडलीय/जिला समादेष्टा के सहयोग एवं गृह रक्षा बल के पदाधिकारियों के माध्यम से जिला में गृह रक्षकों की कार्य प्रणाली, निदेशन, सामान्य नियंत्रण रखेंगे।

## 22. संगठनात्मक कर्तव्य :-

स्थायी कर्मियों की पर्याप्त संख्या के अभाव में गृह रक्षकों को चालक, कम्प्यूटर संचालक, टंकक, शस्त्रागार, ड्यूटी, अर्दली, बिजली मिस्त्री, पलम्बर, धोबी, हजाम, झाड़ूकश, स्टोर गार्ड, धावक, लिपिक, स्टेनोग्राफर आदि द्वारा किये गये ड्यूटी के समान संगठनात्मक ड्यूटी आवंटित की जा सकती है। इसका संख्या बल समय-समय पर महासमादेष्टा द्वारा प्रमंडलीय / जिला समादेष्टा के परामर्श पर तय किया जायेगा। मुख्यालय के संख्या बल का निर्धारण महासमादेष्टा द्वारा उप-महासमादेष्टा/समादेष्टा मुख्यालय के अनुरोध पर किया जायेगा।

## 23 उच्चतर प्राधिकार द्वारा निरीक्षण :-

महासमादेष्टा और प्रमंडलीय समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी के कार्यालयों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे और अपना निरीक्षण प्रतिवेदन देंगे। उपायुक्त स्थापना, नियुक्ति, प्रशिक्षण और बल की सामान्य दक्षता आदि के विशेष संदर्भ में गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं और राज्य सरकार को निरीक्षण वृत्त समर्पित करेंगे।

## 24. स्थायी आदेश :-

महासमादेष्टा बल के स्थापना, प्रशिक्षण, साज-सज्जा सामग्री और अनुशासन के साथ बल के हौसले से संबंधित मामलों में स्थायी आदेश निर्गत कर सकते हैं।

## 25 पुलिस हस्तक की प्रयोज्यता :-

राज्य पुलिस हस्तक के प्रावधान गृह रक्षा बल में यथासंभव लागू होंगे, यदि ऐसे प्रावधान में झारखंड होमगार्ड अधिनियम और झारखंड होमगार्ड नियमावली (स्वयंसेवकों के लिए) के प्रावधानों में से किसी के प्रतिकूल नहीं हो।

## 26. शक्ति प्रत्यायोजन :-

महासमादेष्टा अपने अधीनस्थ किसी दूसरे पदाधिकारी को अपनी कोई एक या सभी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकता है।

**27 पुलिस समतुल्यता :-**

पुलिस ड्यूटी करने वाले सभी गृह रक्षक स्वयंसेवक और मानद पदाधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अपराध प्रक्रिया संहिता या भारत में तत्समय लागू अन्य कोई दूसरे अधिनियम के प्रयोजन से पुलिस पदाधिकारी माने जायेंगे। वे अपने सरकारी क्षमता में पुलिस कर्मियों को प्रदत्त सभी शक्तियाँ, दिशेषाधिकार और उन्मुक्ति (immunities) प्राप्त करेंगे।

**28 मुआवजा :-**

मृत्यु शारीरिक चोट / हानि / दुर्घटना के मामले में सभी गृह रक्षक

- (i) स्वयंसेवक जो कर्तव्य पर बुलाये गये हैं, मुआवजा अथवा अनुग्रह / अनुदान के हकदार होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।
- (ii) (मृत गृह रक्षक के मामले में) यदि मृत्यु कॉल अप के दौरान हुई है, तो उसके योग्य आश्रित को गृह रक्षक के रूप में महासमादेश द्वारा गृह रक्षकों की रिक्ति के विरुद्ध नामांकित किया जायेगा।
- (iii) भुगतान के आधार पर दूसरे संगठनों में प्रतिनियुक्त को संबंधित संस्था / संगठन द्वारा उपनियम (i) और (ii) के अनुकूल अनुग्रह अनुदान भुगतान किया जायेगा।

**नोट :-** प्रत्येक संगठन जो गृह रक्षकों की सेवा खण्ड 28 (iii) के प्रयोजन से प्राप्त करते हैं, को अनुग्रह अनुदान की राशि प्रकट करनी होगी जो वे मृत्यु/दुर्घटना के स्थिति में भुगतान करेंगे। यह प्रकटीकरण अपने संगठन के लिए गृह रक्षक की सेवा प्राप्त करने के लिए अध्याचना के समय करना होगा, अन्यथा ऐसी कोई सेवा नहीं दी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**एन० एन० पाण्डेय,**  
सरकार के प्रधान सचिव ।

-----